राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए निधियां

2741. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और क्या उसका विकास तदनुसार किया गया था ; यदि नहीं, तो उनमें कमियों के ब्यौरे सहित उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपयुक्त विकास के लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता है और उस योजना में कितनी धनराशि का उपबन्ध किया गया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्यों में क्षेत्रीय योजना को तैयार करना और इसका सांविधिक प्रवर्तन तथा योजना आयोग द्वारा योजना अवधि के लिये अनुमोदित बजटीय नियतन का उपयोग करना शामिल थे ।

संदर्श 2001 के विषय में एक सांविधिक क्षेत्रीय योजना प्रतिपादित की गयी थी । इसे विधिवत् रूप से अनुमोदित और लागू किया जा चुका है । 65 करोड़ रुपये के योजना प्रावधान का पूर्णतया उपयोग किया गया था । इसके अतिरिक्त, सातवीं योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय और राज्य अभिकरणों द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं पर 23.73 करोड़ रुपये का पूंजी - निवेश किया गया था ।

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान क्षेत्र के लिये पूंजी निवेश का आंकलन करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा कार्य दल का गठन किया गया था । उनके द्वारा प्रतिपादित योजना, जो बाद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई थी, में 2900 करोड़ रूपये के पूंजी निवेश का विचार किया गया (केन्द्रीय क्षेत्र में 1750 करोड़ रूपये और राज्य क्षेत्र में 1150 करोड़ रूपये) इसके अतिरिक्त, 828 करोड़ रूपये (आवर्ती निधि के रूप में केन्द्रीय क्षेत्र में 728 करोड़ रूपये और राज्य क्षेत्र में 100 करोड़ रूपये) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर पांच काउन्टर- मैगनेट क्षेत्र के लिए प्रस्तावित किये गये हैं । यह योजना विचारार्थ और आठवीं योजना में शामिल करने के लिये योजना आयोग को प्रस्तुत की गयी है ।

आरामबाग में पानी की कमी

2742. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में आराम बाग की सरकारी कालोनी के टाइप 'सी' (नई टाइप "बी") क्वार्टरों में पानी की भारी समस्या है, यदि हां, तो उनमें प्रातः और सायं कितने घंटे तक पानी की पूर्ति की जाती है ;

(ख) उस कालोनी के लिये पानी के लिये टैंकर मंगाये जाने की क्या आवश्यकता है ; और

(ग) क्या पानी की पूर्ति न किये जाने के संबंध में क्षेत्रीय शिकायत कार्यालय में कोई शिकायतें दर्ज करायी गई हैं । यदि हां, तो ऐसे आवंटितियों की संख्या कितनी है, जिन्होंने पानी की पूर्ति न किये जाने के संबंध में पिछली तथा वर्तमान गर्मियों में शिकायतें दर्ज करायी हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) तथा (ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा पानी की एक मुश्त आपूर्ति की सम्पूर्ण कमी के कारण, इन क्वार्टरों में पानी की आपूर्ति को प्रातः 2 घंटे तथा सायं 2 घंटे तक सीमित कर दिया जाता है । एक मुश्त आपूर्ति

में आगे कमी होने के मामले में, आपूर्ति को प्रातः आधा घंटा और सायं आधा घंटा कम कर दिया जाता है। कमी को पूरा करने के उद्देश्य से, आवंटितियों को पानी के टकों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाती है।

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय द्वारा पिछली गर्मी के मौसम में प्राप्त शिकायतों की संख्या 78 थी, जबकि चालू गर्मी के मौसम में यह संख्या आज की तारीख तक 278 है।

Unauthorised encroachments in Sarojini Nagar, New Delhi

2743. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Assistant Engineer (2/J), CPWD, Sarojini Nagar, New Delhi, had forwarded a letter dated 12-5-1989 to Residents Social Welfare Association (A to E Block Special Type Quarters) C-97 Sarojini Nagar regarding unauthorised encroachment made by some residents;

(b) whether it is also a fact that no action has been taken by CPWD so far to remove the illegal encroachments, especially near the NDMC's new built stalls, which has been a hindrance in the movement of NDMC people and the residents;

(c) what are the reasons for which this encroachment is not being cleared for the last so many years;

(d) whether Government is aware that two complaints have been lodged in Vinay Nagar Police Station in this regard; and

(e) if so, what action has been taken to issue written warning to these people and recover the cost of glass-panes of Quarter D-76 which were broken thrice during the last four years while playing cricket in spite of protests from people?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Consumer Courts

2744. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Governmen propose to form 'Consumer Courts' in order to protect the rights of the consumer;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL) : (a) Government has enforced the Consumer Protection Act, 1986 for the better protection of the consumers which envisages setting up of three-tier quasi-judicial machinery at the District State and National level, for providing quick inexpensive and effective redressal to consumer grievances.

(b) and (c) The National Consumer Disputes Redressal Commission is already functioning. The Redressal machinery at the State and District Levels has started funcioning in 19 States/Union Territories. 11 States/Union Territories have notified the said machinery. Approval of Central Government has been conveyed to the remaining one State to set up this machinery. The Act does not apply to Jammu & Kashmir.

Cost of production of agricultural produce

2745. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what would be cost of production for paddy, wheat, groundnut,